न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-18/2021

राज्य

बनाम्

दीलीप प्रसाद साहु

—: आदेश :—

24/10/21

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1572(A)/अप0शा0 दिनांक 28.08.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या—239/2020 दिनांक—24.12.2020 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा धारा—17(बी)/18(बी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत कांड में जप्त वाहन Vitara Brezza पंजीयन संख्या—JH01DX-1074 ईजन नं0— K15BN4005081 चेचिस नं0— MA3NYFJ1SLC640561 को राजसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त वाद में जप्त सिल्वर रंग का मारूती सुजूकी कार पंजीयन संख्या—JH01DX-1074 का स्वामी दिलीप प्रसाद साहु पिता— वंशी साव, ग्राम— गुरतुर थाना—बालूमाथ, जिला— लातेहार है। उक्त जप्त वाहन की मुक्ति हेतु प्रतिपक्षी द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन का एम0सी0ए0 546/2021 की सुनवाई के उपरान्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार संबंधित थाने से मांगे

गये रिपोर्ट के प्रतिउत्तर के अवलोकन के पश्चात् दिनांक 03.09.2021 को मुक्ति आदेश निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में जप्त वाहन सेशन कोर्ट के आदेश पर मुक्त है, इसलिए अधिहरण/राजसात की कार्रवाई नहीं हो सकती है। उक्त मुक्ति आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी को इस शर्त के साथ कि प्रतिपक्षी यह कहते हुए कि किसी भी समय माननीय न्यायालय में वाहन वापसी के संबंध में एक काण्ड निष्पादित करेगा, साथ ही प्रतिपक्षी शपथ पत्र यह वचन भी देगा कि वह वाहन के स्वामित्व में परिवर्तन नहीं करेगा और न ही वाद लम्बित रहने तक उक्त वाहन के बनावट रंग, आकार में परिवर्तन ही करेगा और ना ही उक्त वाहन को गिरवी ही रखेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा माननीय न्यायालय में बॉण्ड निष्पादित किया जा चुका है एवं उक्त वाहन के मुक्ति के संबंध में पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि संबंधित थाने में जमा करवा कर उक्त जप्त वाहन को मुक्त करवा लिया गया है।

प्रतिपक्षी का यह भी कथन है कि उक्त जप्त वाहन से किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य या कोई गैरकानुनी सामग्री जप्त नहीं किया गया है। उक्त वाद में जप्त मादक द्रव्य आवेदक वाहन स्वामी के पोजिशन से बरामद नहीं है। जप्ती सूची 02 (दो) दिनांक 24.12.2020 समय 14:00 बजे बनायी गयी है, वह भ्रामक है तथा पुलिस के पूर्वाग्रह से ग्रसीत मंशा का धोतक है क्योंकि जप्ती सुची पर जिन गवाहों का हस्ताक्षर बनाया गया है वह स्थानीय गवाह नहीं हैं। प्रस्तुत वाद में जप्त वाहन में गैरकानुनी सामग्रीयों को दिखाना पूर्णतः बनावटी है तथा पुलीस की स्वयं के द्वारा एक निर्दोष परिवार को फसाने की मंशा को प्रदर्शीत करता है। प्रतिपक्षी समाज के प्रतिष्टीत व्यक्ति है तथा उक्त अपराध से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वाहन को जप्त किया गया जिसमें अभियुक्त को जमानत मिल चुकी है एवं वाद का विचारण चल रहा है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड प्राथमिकी अभियुक्त 1. धिरेन्द्र

महतो पे0– स्व0 भोला महतो सा0– गणेशपुर, 2. दिलीप प्रसाद साव पे0– बंशी साव, सा0– गुरतुर, 3. रिविन्द्र प्रसाद गुप्ता पे0– त्रीवेणी साव, सा0– कुरियाम खुर्द तीनों थाना– बालूमाथ जिला– लातेहार एवं 4. रिंकु कुमार पे0– ज्योतिष प्रसाद यादव, सा0– गवालगांव, थाना– बैसी, जिला– पूर्णिया (बिहार) के विरूद्ध अवैध अफीम के कारोबार करने के अरोप में अफीम एवं रूपये के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध धरा– 17(बी)/18(बी)/25 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या– 114/2021 दिनांक 07.05.2021 समर्पित किया गया है। जप्त वाहन विटारा ब्रेजा पंजीयन संख्या–JH01DX-1074 से अफीम (गादा) का करोबार करना सत्य पाया गया है। अफीम (गादा) का करोबार करने में संलिप्त वाहन को राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, लातेहार के पत्रांक 986/विधि दिनांक 20.10.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि The Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act. 1985 की धारा– 60, 61, 62 एवं 63 में Confiscation से संबंधित मामलों का उल्लेख है। धारा– 63(1) में अंकित है कि "In the trial of offences under this Act. whether the accused is convicted or acquitted or discharged, the court shall decide whether any article or thing siezed under this Act is liable to confiscation under section 60 or section 61 or section 62 and, if it decides that the article is so liable, it may order confiscation accordingly." इस प्रकार उक्त वाद की सुनवाई Trial Court में चलने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रतिवेदन के आलोक में The Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act. 1985 के तहत् उक्त वाद की सुनवाई Trial Court में चलने योग्य है। अतः उक्त वाद को निष्पादित करते हुए पुलिस अधीक्षक, लातेहार को निदेश दिया जाता है कि उक्त

वाद में राजसात की कार्रवाई हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, लातेहार तथा प्रतिपक्षी को भेजें।

अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.10.22 13:45:30 +05:30
Location: 192.168.174.97